

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI-110002**

No.F.18/27/2025/DLA/PQ/GAD/Admn./11259

Dated: 26/03/2025

To,

The Dy. Secretary (Question),
Legislative Assembly Secretariat,
Old Ssecretariat, Delhi-110054.

Sub: Reply of Delhi Legislative Assembly Starred Question Nos.-59 reply for 27-03-2025.

Sir,

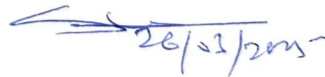
With reference to your email dated: 17-03-2024 followed by email dated: 18-03-2024 and 19-03-2024 on the subject cited above.

I am directed to enclose herewith 100 copies of reply of Starred Question No.-59 reply for 27-03-2025.

This issues with the prior approval of Hon'ble Chief Minister/Minister (GAD).

Encls: as above

Yours faithfully


**(Shyam Prakash)
Section Officer(GAD)**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
केयर टेकिंग-III शाखा, तल-2, ए-विंग,
दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या : 59

दिनांक : 27.03.2025

प्रश्नकर्ता : चौधरी जुबैर अहमद, माननीय विधायक सीलमपुर

क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी?

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या कैबिनेट मीटिंग के निर्णयों संबंधित नोटिफिकेशन जारी करने की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग की है;	सामान्य प्रशासन विभाग कैबिनेट की बैठकों में लिए गए निर्णयों का कार्यवृत्त तैयार करता है । सामान्य प्रशासन विभाग का काम कैबिनेट के निर्णयों को मंत्रिमंडल के सदस्यों तथा सम्बंधित विभागों को सूचित करना है।
2	यदि नहीं, तो कैबिनेट से जुड़े निर्णयों के नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है;	
3	यदि सामान्य प्रशासन विभाग कैबिनेट मीटिंग के निर्णयों संबंधित नोटिफिकेशन जारी करता है तो इसकी प्रति किन-किन को भेजी जाती है, सूची मुहैया करवाएं,	
4	क्या इन नोटिफिकेशनों की प्रति नेता प्रतिपक्ष को भी भेजी जाती है;	जी नहीं ।
5	यदि नहीं, तो क्यों नहीं भेजी जाती,	इस संबंध में कोई नियम या पिछले उदाहरण नहीं हैं ।
6	क्या इन नोटिफिकेशनों की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है; और	जी नहीं ।
7	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	संबंधित विभाग इन निर्णयों के उपरांत जारी आदेश को सामान्यतः अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराते हैं।

प्रदीप तायल
(प्रदीप तायल)

संयुक्त सचिव (सा. प्र. वि.)